20/12/17

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अपीलान्ट ने अदालत मातहत में दावा बाबत उद्घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादिया के स्वर्गीय पिता मोहनलाल के नाम से खातेदारी की आराजी ग्राम जेरठी खसरा नं0 81 रकबा 2.36 हैक्टर, ख0नं0 478 रकबा 1.36 हैक्टर कुल किता-2 रकबा 3.7200 में से 2.94 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा व ख0नं0 204 रकबा 0.5400 हैक्टर, ख0नं0 205 रकबा 0.5600 हैक्टर, ख0नं0 206 रकबा 1.1900 हैक्टर, ख0नं0 207 रकबा 1.0900 हैक्टर कुल किता-4 रकबा 3.3800 हैक्टर में से 1/4 हिस्से में से 1/4 हिस्सा, ख0नं0 480 रकबा 8.0900 हैक्टर में से 1/5 में से 1/2 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। वादिया की वंशावली के अनुसार मोहनलाल की बेवा लक्ष्मीदेवी (माता) (मृतक) वादिया के मोहनलाल के ग्यारसीदेवी (मृतक बहिन) एवं सुरजीदेवी वादिया है। मोहनलाल की पुत्री ग्यारसीदेवी का मोहनलाल के जीवनकाल में ही देहान्त

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

40/2017 सुरजी देवी – तहसीलदार॥

दिनांक	आज्ञा पत्र	
20-12-17	हो चुका था। इस प्रकार मोहनलाल की एक मात्र वारिस वादिया ही है ।वादिया के अलावा मोहन लाल के कोई वारिस नहीं है । मोहनलाल की उक्त आराजी पर वादिया काबिज काश्तकार दर्ज चली आ रही है ।मोहनलाल की मृत्यु दिनांक 20-6-2009 को तथा वादिया की माता लक्ष्मीदेवी की मृत्यु दिनांक 19-7-2003 को गई थी ।इस प्रकार मोहनलाल की खातेदारी की आराजी पर वादिया काबिज काश्तकार खातेदार दर्ज है । वादिया ने प्रतिवादी के पास नामा0 विरासत का खुलवाने के लिये गई तब प्रतिवादी ने न्यायालय से डिक्री लाने की बात कही जिस पर यह दावा किया जाना आवश्यक हुआ । जिस पर यह दावा किया गया । अदालत मातहत ने बाद सुनवाई वादिया का दावा खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है । योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है ।अपीलान्ट ने अदालत मातहत मेंमोहनलाल के प्रथम श्रेणी की वारिस होने से विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का निवेदन किया । तहसीलदार ने प्रकरण में न्यायालय से डिक्री लाने की बात कही जिस पर अदालत मातहत में वदिया ने दावा पेश किया । जिसमें स्पष्ट किया था कि वादिया के का पिता माता एवं बहिन की मृत्यु हो चुकी है । अब अपीलान्ट अकेली ही मोहन लाल के वारिस है । जिसके लिये स्कूल का एस0आर रजिस्टर की प्रमाणित प्रति, विक्रय पत्र की फोटो प्रति, शपथ पत्र आदि पेश किये जिससे यह साबित किया है कि अपीलान्ट मोहनलाल की जायन्दा पुत्री है जो एक मात्र वारिस है ।जो मोहनलाल की उक्त	

निर्णय निरस्त कर वादिया/अपीलान्ट का दावा डिक्री किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई । बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र आदेश-4। नियम-27 सीपीसी का पेश कर उसके साथ राजस्थान सरकार द्वारा राजस्व(ग्रुप-6) विभाग द्वारा क्रमांक/प/5(1)(राज-6/97/ जयपुर दिनांक 8-9-97 में खातेदारी भूमि में पिता की आराजी मे पुत्र अथवा पुत्री का जन्म से ही हक हिस्सा निर्धारित होता है पेश किया । यह दस्तावेज लोक दस्तावेज है जिसको रेकार्ड पर लिये जाने में कोई ऐतराज नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र आदेश-4। नियम-27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा प्रस्तुत रेकार्ड को रेकार्ड पर लिया जाता है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय मे प्रकरण अपीलान्ट के विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करने का है न कि उद्घोषणा का। अदालत मातहत ने प्रकरण को उद्घोषणा का नहीं मानकर दावा खारिज किया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई विधि की भूल नहीं है। अदालत मातहत ने अपने पिता की आराजी का नामान्तरकरण दर्ज करवाने के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार को पेश करने की हिदायत देते हुये अपीलान्ट का उद्घोषणा का दावा खारिज किया है । जिसमें हम किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं पाते हैं ।

अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर(द्वितीय) सीकर का निर्णय एवं डिक्री दि0 2-5-2017 को यथावत रखा जाता है । निर्णय सुनाया गया ।